



2026:AHC:57953

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 1546/2026

शाहीन

..... प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.... विपक्षी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता : केशवा प्रसाद पाण्डेय, कृष्ण चन्द्र पाण्डेय

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 51

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X

1. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री के.के. गुप्ता को सुना गया।
2. कार्यालय आख्या के अनुसार, प्रतिवादी/सूचनाकर्ता को नोटिस की तामील हो चुकी है, किन्तु उक्त प्रतिवादी की ओर से अपील का विरोध करने हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. यह आपराधिक अपील, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए (1) के अंतर्गत, अपीलकर्ता द्वारा इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि अपील को स्वीकार करते हुए पारित विवादित निर्णय दिनांक 27.09.2021 को, जो कि माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. (पी.ए.) अधिनियम, सिद्धार्थनगर द्वारा शिकायत वाद संख्या 01/2021, सीएनआर संख्या यूपीएसडी01-000007-2021 (रामरती बनाम शहीन एवं अन्य), थाना त्रिलोकपुर, जनपद सिद्धार्थनगर में पारित किया गया, को निरस्त किया जाए, जिसके द्वारा अपीलकर्ता को भा.दं.सं. की धाराओं 504, 506 तथा एस.सी./एस.टी. (पी.ए.) अधिनियम की धारा 3(1)(ध) के अंतर्गत समन किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत दर्ज परिवादी के कथन के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता को ग्राम प्रधान के कहने पर झूठा फँसाया गया है। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि प्रतिवादी/परिवादी ने आरोप लगाया है कि दिनांक 19.12.2020 को लगभग 11:30 बजे, जब वह जाहिदा खातून के खेत में मजदूरी कर रही थी, तब अपीलकर्ता द्वारा उसके साथ गाली-गलौज एवं मारपीट की गई। परिवादी ने अपने धारा 200 सी.आर.पी.सी. के कथन में यह भी कहा है कि उसने ग्राम प्रधान राम शब्द के कहने पर अभियुक्तों को नामजद किया। साथ ही यह भी कहा गया कि ग्राम प्रधान की कुछ कृषि मशीनरी/उपकरण उस खेत में मौजूद थे जहाँ परिवादी कार्य कर रही थी। अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि अपीलकर्ता एक महिला है और यह अपेक्षित नहीं है कि वह खेत में जाकर विवाद करे। अंत में यह कहा गया कि विवादित आदेश दुर्भावना से प्रेरित है और निरस्त किया जाना चाहिए।

5. विद्वान ए.जी.ए. ने प्रस्तुत किया कि परिवादी तथा उसके साक्षियों के कथन प्रथम दृष्टया घटना की पुष्टि करते हैं। धारा 204 सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत समन जारी करते समय न्यायालय को गहन परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होती। अतः विवादित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है और अपील निरस्त किए जाने योग्य है।

6. पक्षकारों के अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार किया गया तथा संपूर्ण अभिलेख, जिसमें विवादित आदेश भी सम्मिलित है, का अवलोकन किया गया।

7. परिवाद में उल्लिखित आरोपों से स्पष्ट है कि परिवादी जाहिदा खातून के खेत में मजदूर के रूप में कार्य कर रही थी। यह आरोप है कि अपीलकर्ता एवं अन्य अभियुक्त वहाँ आए और उसे कार्य करने से रोका। इसके पश्चात जब परिवादी ने उनकी बात मानने से इंकार किया, तो विवाद उत्पन्न हुआ। ऐसे मामलों में, जहाँ प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य उपलब्ध हो, वहाँ उद्देश्य आवश्यक नहीं होता। यहाँ परिवादी स्वयं न केवल प्रत्यक्षदर्शी है बल्कि घायल भी है। किन्तु यह भी सत्य है कि जब घटना की उत्पत्ति ही संदिग्ध हो, तब न्यायालय को परिवादी एवं उसके साक्षियों के कथनों पर विश्वास करने में सावधानी बरतनी चाहिए, जब तक कि वे ठोस आधार पर आधारित न हों।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. घटना की उत्पत्ति, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ, स्पष्ट नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि अपीलकर्ता एवं अन्य अभियुक्तों को किस कारण से परिवादी के कार्य में हस्तक्षेप करने की प्रेरणा मिली। परिवादी द्वारा यह स्वीकार करना कि उसने ग्राम प्रधान के कहने पर अपीलकर्ता का नाम लिया, उसके कथन को और संदिग्ध बनाता है। अतः न्यायालय का मत है कि अपीलकर्ता के विरुद्ध कोई ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य न होने के कारण आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। यहाँ तक कि यदि समस्त आरोपों को यथावत् सत्य मान भी लिया जाए, तब भी प्रथम दृष्टया मामला स्थापित नहीं होता।

9. उपर्युक्त के आलोक में, दिनांक 27.09.2021 को पारित विवादित आदेश तथा शिकायत वाद संख्या 01/2021, सीएनआर संख्या यूपीएसडी01-000007-2021 (रामरती बनाम शहीन एवं अन्य) की समस्त कार्यवाही, जहाँ तक वे अपीलकर्ता से संबंधित हैं, निरस्त की जाती हैं।

10. तदनुसार, यह आपराधिक अपील **स्वीकृत** की जाती है।

(माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X)

20 मार्च, 2026

एस. के.